लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
021/2022 (GCMS 2022/74)	04.04.2022	27.04.2022

अनवान

मयूरध्वज सिंह राणावत निवासी 17–ए, श्रीराम बन्नासा विहार, धमोत्तर हाउस, अम्बामाता स्कीम, उदयपुर (राज0)

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 21.02.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./021/2022(सू.अ.)(26.04.2022)/117 दिनांक 05.04.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 26.04.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 26.04.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने दिनांक 26.04.2022 को स्वयं उपस्थित होकर मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आदिनांक तक वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अतः चाही गई सूचनाऐं दिलाने का आदेश प्रदान करावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/738 दिनांक 22.04.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः—

1. यह कि प्रार्थी श्री मयूरध्वज सिंह राणावत निवासी 17 अ, श्रीराम बन्नासा विहार, धमोत्तर हाउस, अम्बामाता स्कीम, उदयपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 21.02.2022 इस कार्यालय में प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ को सूचना उपलब कराने हेतु लिखा गया, जिस पर प्राप्त सूचनानुसार वांछित सूचना संबंध पत्रावली भू–अभिलेख रिकॉर्ड रूम में जमा कराना नहीं पाया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, चित्तौड़गढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/197 दिनांक 22.04.2022 से पत्र जारी किया गया हैं जिससे सूचना प्राप्त होने पर यथाशीघ्र प्रार्थी को उपलब्ध करा दी जावेगी।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/738 दिनांक 22.04.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कमेंन्ट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों के अवलोकन से यह तथ्य उजागर हुआ है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 21.02.2022 (प्राप्ति दिनांक 25.02.2022) को अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/197 दिनांक 01.04.2022 से सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख (रिकॉर्ड) अनुभाग, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ को आवेदन प्राप्त होने के 36 दिवस पश्चात दिनांक 01.04.2022 को स्थानान्तरित किया गया जबकि सूचना की अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार अगर प्रार्थी का आवेदन गलत विभाग में चला गया है तो वह विभाग इसको 5 दिवस के अन्तर्गत सही विभाग में स्थानान्तरित करेंगा। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को स्थानान्तरित करने में किया गया विलम्ब उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके कारण प्रार्थी को अनावश्यक ही सूचना प्राप्त होने में विलम्ब हुआ है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

साथ ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंन्ट्स के अनुसार वर्तमान में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना हेतु अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने प्रत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/197 दिनांक 22.04.2022 से प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ को पत्र जारी किया गया है जिससे सूचना प्राप्त होने पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु लिखा हैं।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधित कार्यालय से 30 दिवस में प्राप्त कर अपीलार्थी को निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>27.04.2022</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-SD-

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)